न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—414/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/414)

1. लाखूसिंह पुत्र सरदारसिंह (फौत)
   1/1 आनन्दसिंह पुत्र स्व0 लाखूसिंह
   1/2 हरिसिंह पुत्र स्व0 लाखूसिंह
   1/3 गिरीराजसिंह पुत्र स्व0 लाखूसिंह
   1/4 संतोष पुत्री स्व0 लाखूसिंह पत्नि महेन्द्रसिंह
   1/5 नर्मदा पुत्री लाखूसिंह पत्नि चिमनसिंह
   1/6 भंवरीदेवी पत्नि लाखूसिंह
   समस्त जाति रावत निवासी थूनीथाक तहसील ब्यावर जिला ब्यावर।
2. भंवरसिंह पुत्र माधूसिंह (फौत)
   1/1 अशोक सिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह
   1/2 कुलदीपसिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह
   1/3 राधा पुत्री स्व0 भंवरसिंह
   1/4 मीना पुत्री स्व0 भंवरसिंह
   समस्त जाति रावत निवासी थूनीथाक तहसील ब्यावर जिला ब्यावर।
3. गिरधारसिंह पुत्र गेनसिंह
4. हीरासिंह पुत्र पूरणसिंह
5. कमलसिंह पुत्र शेरसिंह
6. सोहनसिंह पुत्र दल्लासिंह
   सभी जाति रावत, निवासी थूनीथाक, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. भैरसिंह पुत्र मालसिंह
2. भंवरसिंह पुत्र जसवंतसिंह
   दोनों जाति रावत, निवासी काबरा तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, ब्यावर जिला ब्यावर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 19.10.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर राजस्व वाद संख्या 105/2017

उपस्थितः—

1. श्री पी0एस0 नरूका अभिभाषक अपीलांट
2. श्री गौतम टांक अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—11.02.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 105/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट्स ने प्रतिवादी/रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के न्यायालय में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 91 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सम्मन जारी किए गए। बाद तामील रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित रहे तथा तहसीलदार से मौके की वस्तुस्थिति व जवाब तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किए जाने के आदेश दिनांक 19.10.2022 को पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 105/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा ग्राम थूनीथाक के हाल खसरा नम्बर 409 पर रेस्पोडेंट्स द्वारा उक्त भूमि को ग्राम काबरा की होना व उस पर कब्जा करने पर वाद प्रस्तुत किया गया एवं सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नक्शे में त्रुटि कारित करने से इसकी दुरूस्ती चाही से भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज करने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार ब्यावर को वस्तुस्थिति की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए थी परन्तु तहसीलदार ब्यावर ने तथ्यों व राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज को छिपाते हुए हाल खसरा नम्बर 409 के साबिक नम्बर क्या थे, कितना रकबा था एवं हाल खसरा नम्बर में कितना रकबा दर्ज है व कितना कम है की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की फिर भी इस बिन्दु को अनदेखा कर जो निर्णय पारित किया है वह काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट्स द्वारा साबिक खसरा नम्बर का नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया उसमें खसरा नम्बर 269 व 324 दोनों अंकित हैं जिस भौतिक स्थिति का विवाद है वह हाल खसरा नम्बर 409 है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय व तहसीलदार ब्यावर को हाल खसरा नम्बर 409 के साबिक नम्बर व रकबा तथा साबिक रकबे से हाल के रकबे बाबत् जांच किया जाना आवश्यक था क्योंकि विवाद दो गांवों की सीमा के सम्बन्ध में था तो अपीलांट्स जो ग्राम थूनीथाम के निवासी हैं ग्राम की सहकारी भूमि के गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवा पुनः सरकार के नाम दर्ज करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया था जिसमें तहसीलदार ब्यावर का भी हित निहित था परन्तु तहसीलदार ब्यावर ने अपने कर्तव्यों से विमुख होकर गलत मंशा से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सरकारी भूमि को एक तरह से खुर्द बुर्द करने का कार्य किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के मूल विवाद को अनदेखा कर मात्र तहसीलदार ब्यावर की आधी अधूरी रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय पारित किया है वह काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखने में कानूनी भूल की है कि मूल विवाद खसरा नम्बर 409 का था यदि नक्शे में अंकित दो नम्बरों के आधार पर सहवन से 324 के स्थान पर 269 अंकित कर दिया जाने मात्र से खसरा नम्बर 409 की स्थिति नहीं बदल सकती। अधीनस्थ न्यायालय को खसरा नम्बर 409 के साबिक खसरा नम्बर बाबत्

विस्तृत जांच कराई जानी चाहिए थी तथा तहसीलदार ब्यावर को भी इस सम्बन्ध में विस्तृत जवाब व रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं किया गया जिससे निर्णय व डिक्री काबिल निरस्तनीय है। अपीलांट्स द्वारा वाद अपने ग्राम की भूमि व उसकी रक्षार्थ राज्य सरकार के हितार्थ प्रस्तुत किया था एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत भी दुरूस्ती चाही थी जिसमें उपखण्ड अधिकारी जो स्वयं लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर हैं तथा तहसीलदार ब्यावर भूमिधारी हैं का कर्तव्य था कि वह अगर सेटलमेन्ट द्वारा गांव की सीमा की भूमि को कम ज्यादा किया या नक्शे में छेडछाड की तो उसको दुरूस्त करते परन्तु दोनों ने अपने कर्तव्य का विधिवत पालन नहीं कर केवल साबिक खसरा नम्बर गलत अंकन कर देने मात्र से वाद को खारिज किया जो विधि के विपरीत होने से निर्णय व डिक्री काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखने में कानूनी भूल की है कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा चौसाला नक्शे में खसरा नम्बर 269 व 324 अंकित कर रखे हैं जिसमें सहवन से वाद पत्र में साबिक खसरा नम्बर 269 अंकित हो गया जबकि मूल विवाद हाल खसरा नम्बर 409 जो ग्राम थूनीथाक व काबरा की सीमा पर स्थित है का था एवं हाल खसरा नम्बर 409 साबिक खसरा नम्बर 324 रकबा 04–16–00 बीघा से बना था एवं सेटलमेन्ट विभाग ने सिवायचक खाते में रकबा 04–01–10 बीघा दाती दर्ज कर 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी रकबा कम करते हुए ग्राम काबरा में दर्ज कर दिया जिसकी दुरूस्ती चाही गई थी। तहसीलदार ब्यावर ने हाल खसरा नम्बर 409 के बारे में कोई जवाब व मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर तथ्य छिपाये एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस बिन्दु पर बिना गौर किये तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो वाद के मूल विवाद के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 105/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी/अपीलांट द्वारा मिथ्या कथनों पर अधीनस्थ न्यायालय व हाजा न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार ब्यावर द्वारा भी रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किए गए हैं कि ग्राम थूनीथाक के साबिक खसरा नम्बर 269 रकबा 4–12–00 का हाल खसरा नम्बर 409 रकबा 4–1–10 बताया है जिसका मिलान क्षेत्रफल से मिलान करने पर पाया कि साबिक खसरा नम्बर 269 का हाल खसरा नम्बर 63 रकबा 4–12–00 बना है। साबिक खसरा नम्बर 269 के नए खसरा नम्बर 409 ना होकर खसरा नम्बर 63 होने से वाद पत्र में हाल खसरा नम्बर 409 गलत दर्ज किए गए हैं, साबिक खसरा नम्बर 269 हाल खसरा नम्बर 63 राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट व तथ्यों के आधार पर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व

अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वादी/अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। तहसीलदार ब्यावर द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 19.10.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद वाकै ग्राम थूनीथाक तहसील ब्यावर के साबिक खसरा नम्बर 269 रकबा 4–12–10 व हाल खसरा नम्बर 409 रकबा 4–01–10 बीघा बाबत प्रस्तुत किया गया था तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व अभिलेखों से हटाया जाने तथा वादग्रस्त भूमि को ग्राम थूनीथाक की भूमि के रूप में राज्य सरकार के नाम दर्ज किए जाने तथा प्रतिवादीगण को पाबंद किए जाने बाबत अनुतोष प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया था।

तहसीदार ब्यावर द्वारा प्रकरण में दिनांक 19.07.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि *" ग्राम थूनीथाक के साबिक खसरा नम्बर 269 रकबा 4–12–00 का हाल खसरा नम्बर 409 रकबा 4–1–10 बताया है जिसका मिलान क्षेत्रफल से मिलान करने पर पाया कि साबिक खसरा नम्बर 269 का हाल खसरा नम्बर 63 रकबा 4–12–00 बना है। साबिक खसरा नम्बर 269 के नए खसरा नम्बर 409 ना होकर खसरा नम्बर 63 होने से वाद पत्र में हाल खसरा नम्बर 409 गलत दर्ज किए गए हैं, साबिक खसरा नम्बर 269 हाल खसरा नम्बर 63 राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है। "* अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया गया कि उभयपक्षों के मध्य विवाद खसरा नम्बर 409 का है परंतु तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट खसरा नम्बर 269 की प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार, ब्यावर की अस्पष्ट मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया है। तहसीलदार, ब्यावर को प्रकरण में वस्तुस्थिति की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए थी। खसरा नम्बर 409 के साबिक नम्बर क्या थे, कितना रकबा था एवं हाल खसरा नम्बर में कितना रकबा दर्ज है व कितना कम है, तहसीलदार ब्यावर द्वारा इन बिंदुओं का अपनी रिपोर्ट में कोई उल्लेख ही नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा साबिक खसरा नम्बर का नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया उसमें खसरा नम्बर 269 व 324 दोनों अंकित है जिस भौतिक स्थिति का विवाद है वह हाल खसरा नम्बर 409 है। इस स्थिति में तहसीलदार ब्यावर को हाल खसरा नम्बर 409 के साबिक नम्बर व रकबा तथा साबिक रकबे से हाल के रकबे बाबत जांच किया जाना आवश्यक था चूंकि विवाद दो गांवों की सीमा के संबंध में था, परंतु तहसीलदार ब्यावर द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट खसरा नम्बर 269 बाबत प्रस्तुत की गई जिसके हाल खसरा नम्बर 63 है व राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजीयात सिवायचक खाते में दर्ज है, जबकि वादी द्वारा अनुतोष खसरा नम्बर 409 से चाहा गया था इस बाबत तहसीलदार द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्पष्ट रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

तहसीलदार ब्यावर द्वारा हाल खसरा नम्बर 409 के बारे में कोई जवाब व मौका रिपोर्ट प्रस्तुत ही नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को निर्देशित कर खसरा नम्बर 409 के साबिक खसरा नम्बर बाबत विस्तृत जांच करवाई जानी चाहिए थी तथा उसके पश्चात प्रकरण में निर्णय पारित करना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्पष्ट रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय दिनांक 19.10.2022 में विधिक त्रुटि कारित हुई है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 105/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2022 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए व तहसीलदार ब्यावर से खसरा नम्बर 409 की विस्तृत बिंदुवार रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.03.2026 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर